Ram Gopal Singh, Chaudhury
Ramapati Singh, Shri
Ramdas Singh, Shri
Ramji Singh, Dr.
Rathor, Dr. Bhagwan Dass
Ravindra Pratap Singh, Shri
Rodrigues, Shri Rudolph
Rothuama, Dr. R.
Sahoo, Shri Ainthu
Sai, Shri Larang
Samantasinhera, Shri Padmacharan
Satya Deo Singh, Shri
Shejwalkar, Shri N. K.
Shrikrishna Singh, Shri
Singh, Dr. B. N.
Somani, Shri Roop Lal
Surendra Bikram, Shri
Swamy, Dr. Subramaniam
Tej Pratap Singh, Shri
Thakur, Shri Aghan Singh
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri R. L. P.
Yadav, Shri Gyaneshwar Prasad
Yadava, Shri Roop Nath Singh
Yadvendra Dutt, Shri
Yuvraj, Shri

MR. CHAIRMAN: Subject to correction, the result* of the division is:

Ayes—34; Noes—63, the amendment is lost.

The motion was negatived.

15.02 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

TWENTY-SIXTH REPORT

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Private Members' Business. Shri Pabitra Mohan Pradhan.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN (Deogarh): Sir, I beg to move the following:

"That this House do agree with the Twenty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 15th December, 1978."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Twenty-sixth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 15th December, 1978."

The motion was adopted.

15.03 hrs.

RESOLUTION RE: RECLAMATION OF BARREN AND FALLOW LAND FOR DISTRIBUTION TO LANDLESS PERSONS—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Now the House will have to take up further discussion of the following Resolution moved by Shri Laxmi Narain Nayak on the 24th August, 1978:—

"This House is of opinion that with a view to providing employment to about 7 crore unemployed persons, reclaiming barren and fallow lands and increasing food production in the country, the Central Government should provide necessary financial assistance to State Governments and Union Territories Administrations to form a Land Army which may reclaim about 5 crore acres of barren and fallow land within one year and distribute it among the landless persons after providing irrigation facilities and other inputs".

---

*The following Members also recorded their votes:

AYES: Shri K. Suryanarayana and Shri B. K. Nair;

NOES: Shri Lalu Oraon, Shri Kailash Prakash, Shri Pabitra Mohan Pradhan and Shri Daulat Ram Saran.

I would like to remind hon. Members before further discussion on the Resolution by Shri Laxmi Narain Nayak starts, that the time allotted by the House for this discussion has already been exhausted.

The House may now allot further time for this Resolution.

Is it the pleasure of the House that time allotted to this Resolution be extended by fifteen minutes to enable Shri Laxmi Narain Nayak to reply to the debate? He is due to reply.

SOME HON. MEMBER : YES.

MR. CHAIRMAN: All right the time is extended to enable Shri Laxmi Narain Nayak to reply.

Only Fifteen Minutes, please.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : सभापति महोदय, मेरा जो प्रशासकीय संकल्प है उसका माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा में समर्थन किया है और माननीय कृषि राज्य मंत्री ने भी उसका विरोध नहीं किया है क्योंकि यह ऐसा संकल्प है जो कि गरीब व्यक्तियों से ताल्लुक रखता है । इसमें कहा गया है कि जो बंजर और पड़ती जमीन पड़ी है वह समतल कराकर, सिचाई की सुविधा तथा उपकरणों के साथ भूमि सेना गठित करके प्रांतीय सरकारों द्वारा वितरित की जाये तथा केन्द्रीय सरकार इसमें मदद दे । एक साल में 5 करोड़ एकड़ जमीन को भूमिहीनों में वितरित कर देना चाहिए। मेरे इस संकल्प का यही आशय है । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि केवल एक माननीय सदस्य को छोड़ कर सभी माननीय सदस्यों ने इसका हृदय से समर्थन किया है और जैसा मैं ने पहले कहा, मंत्री जी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया है क्योंकि यह बिल्कुल सामयिक बात है । शासन भी चाहता है कि जितनी बंजर और लावारिस जमीन पड़ी है वह भूमिहीनों को मिलनी चाहिए । इस सम्बन्ध में एक दलील यह दी गई कि प्रान्तीय सरकारें ही जमीन की व्यवस्था करती हैं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रान्तीय सरकारें जरूर भूमि की व्यवस्था करती हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार का भी कुछ दायित्व है । क्योंकि जैसे प्रौढ़ शिक्षा के मामले में केन्द्रीय सरकार दिलचस्पी लेती है, कई करोड़ रुपया इस के लिये स्वीकृत किया है, इसी तरह से सिंचाई के मामले में केन्द्रीय सरकार दिलचस्पी लेती है, यद्यपि यह प्रान्तीय मामला है, इसी तरह से भूमि सुधार के मामले में केन्द्रीय सरकार ने भूमि सुधार आयोग बनाया है ताकि भूमि का सुधार हो सके, जमीनों की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके । उसी तरह से मेरे कहने का मतलब यह है कि इस मामले में भी केन्द्रीय सरकार का दायित्व है, केन्द्रीय सरकार इस से सम्बन्ध रखती है, ताकि जल्द से जल्द यह काम शुरू हो । इस का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं—आप देखिये—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये एक कल्याण समिति बनी हुई है—उसने अपनी 1978-79 के 25वें प्रतिवेदन में कृषि और सिंचाई के सम्बन्ध में कहा है—(पृष्ठ 1 पर)—

"मैं अपने पहले प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के पैरा 30 में समिति ने यह नोट किया था कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित कुछ भूमि तत्काल कृषि योग्य नहीं है । समिति ने यह सुझाव दिया था कि यदि अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिहीन व्यक्ति को ऐसी भूमि आवंटित की गई है जो तत्काल कृषि योग्य नहीं है, तो दिल्ली प्रशासन को उस व्यक्ति की उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सहायक अनुदान देना चाहिये । उसे भूमि आवंटन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये भू-राजस्व की अदायगी से भी छूट दी जानी चाहिये ।"

सभापति महोदय, यह लोक सभा की समिति है, जिस ने अपनी सिफारिश में कहा है कि जो ऐसी जमीन दे दी गई है—हरिजन और आदिवासियों को—जिस में वे ठीक तरह से खेती नहीं कर सकते हैं, ऐसी जमीनों को सुधार कर के दिया जाय । इसी लिये मैंने यह उदाहरण दिया है कि केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध भूमि के मामले से है । यदि हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ भूमिहीनों को जमीन देनी है और उन के द्वारा उन की समस्याओं को हल करना है तो यह जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार भी इस में पूरी दिलचस्पी ले ।

दूसरी बात—अभी भी बहुत सी जमीन पड़ी हुई है । हो सकता है—पंजाब प्रदेश या कुछ ऐसे अन्य प्रदेश हो सकते हैं, जहां ऐसी बहुत कम जमीन हो, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य कई प्रदेश हैं जहां ऐसी जमीन बहुत ज्यादा है । मेरे पास आंकड़े हैं—अलग-अलग प्रान्तों के—जहां जमीन पड़ी हुई है, लेकिन उन को दिया नहीं जा सका है । इन में तीन तरह की जमीनें हैं–

बंजर और अकृष्य भूमि	–जो 2,35,59,000 हेक्टर है ।
कृषि बेकार भूमि	जो 1,68,63,000 हेक्टर है ।
चालू परती भूमि	जो 91,39,000 हेक्टर है ।

इस तरह से कुल मिला कर 12,39,02,000 एकड़ जमीन पड़ी हुई है । इस भूमि को खेती योग्य बना कर भूमिहीनों को दिया जा सकता

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

है । इस लिये, श्रीमन्, यह सवाल नहीं उठता कि अपने देश में भूमि नहीं है । भूमि है—जो इन आंकड़ों से स्पष्ट है ।

अभी कुछ प्रदेशों में आदिवासियों को, हरिजनों को भूमि दी गई है—लेकिन न उन के पास बैल हैं, न रहट है, न कोई दूसरे उपकरण हैं जिस से वे भूमि को ठीक कर के उस को उपार्जन योग्य बना सकें । होता यह है कि जमीन तो मिल गई, लेकिन वह उनके पास बिना उपयोग के पड़ी रहती है या आगे चल कर वे उस को बेच देते हैं या किसी तरह से दूसरे उस पर कब्जा कर लेते हैं । मैं चाहता हूं—यदि शासन के द्वारा उन को जमीन दी जानी है तो उस को ठीक कराकर दिया जाय, जैसे आपने "माना" में दिया । जो पूर्वी बंगाल के शरणार्थि आये थे उन को जमीन को समतल कराकर दिया गया । दण्डकारण्य में जो जमीन दी गई, वह भी समतल करा कर दी गई । पन्ना में भी जमीन दी गयी । अगर शासन भूमिहीनों को उनकी आजीविका के लिए कोई साधन देना चाहता है तो उनको ऊबर-खाबड़ और बंजर जमीन न दी जाए । अगर दी भी जाए तो उसे ठीक करार दी जाए । एक निश्चित प्रोग्राम के अन्तर्गत जमीन ठीक करा कर आप मजदूरों को दें जिस से वे उस जमीन पर खेती कर सकें । अगर आप उन्हें ठीक जमीन देंगे तभी वे उस पर खेती कर सकेंगे ।

देश में जो गरीब आदमी हैं जिन को हम दूसरे साधन नहीं दे सकते हैं, किसी उद्योग में जिनको नहीं लगा सकते हैं, कोई नौकरी जिन को नहीं दे सकते हैं, उन के लिए जमीन ही ऐसा साधन है जिस से वे अपने दाने का इंतजाम कर सकते हैं, अपने खाने का इंतजाम कर सकते हैं । किसी व्यक्ति को कपड़ा न मिले, तेल-साबुन न मिले, लेकिन हर व्यक्ति के खाने का इंतजाम तो हम को करना चाहिए । देश में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो खेती करना चाहते हैं लेकिन उन के पास जमीन नहीं है । हम चाहते हैं कि देश में जितने भी भूमिहीन हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रान्तीय सरकारों को निर्देश और सहायता दी जानी चाहिए । मैंने अपने प्रस्ताव में भी यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों की वित्तीय मदद करे ।

मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जिस तरह से दूसरे मसलों पर मुख्य मंत्रियों और राजस्व मंत्रियों की बैठकें बुलाई जाती हैं, इस मामले में भी मुख्य मंत्रियों की और राजस्व मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए । इस बैठक में इन भूमिहीनों के बारे में एक निश्चित नीति तय की जाए । क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है । जिस तरह से हम गल्ले के मामले में आत्म निर्भर हुए जो बेरियर लगे थे उन्हें तोड़ दिया, शक्कर के मामले में कंट्रोल तोड़ दिये उसी तरह से हमें कोई नीति अपना कर इन भूमिहीनों के मामले में कदम उठाने हैं । जब तक हम कोई नीति निर्धारित कर के नहीं चलेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती । इस मामले में भी हमें कोई नीति बनानी पड़ेगी, कानून बनाने पड़ेंगे । कोई योजना बनानी पड़ेगी । जब तक हमारा कोई संकल्प या नीति नहीं होगी तब तक कोई सफलता हमें नहीं मिल सकती है ।

चलता सच्चा बाधा तभी जब ठोर ठिकाना हो कोई,
कर्त्तव्य तभी पालन होगा जब प्रण भी ठाना हो कोई ।

जब तक कोई संकल्प ले कर काम नहीं करेंगे तब तक किसी काम में सफलता नहीं मिल सकती है । हमारी केन्द्रीय शासन के मंत्रियों से विनती है कि वे इस मामले में बहुत ध्यान से गौर कर के इस कार्य को सफल बनायें । यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस को टाला जा सके । यह तो गरीबों का सवाल है । यदि हमारी गरीबों के साथ सहानुभूति है, भूमिहीनों के साथ हमदर्दी है तो हमें इस समस्या को कारगर ढंग से हल करना चाहिए और इस कार्य में सफल होना चाहिए ।

इस प्रस्ताव को मंत्री जी ने अच्छी तरह से पढ़ा है । उन्होंने भी इस का विरोध नहीं किया है । सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस का समर्थन किया है । अगर हम इस प्रस्ताव को आज पारित कर देते हैं तो आज का दिन लोक सभा के इतिहास में एक ऐसा दिन होगा जिस दिन हम भूमिहीनों के लिए यहां कुछ तय कर सकेंगे और हम कह सकेंगे कि हम ने इस तरह से उनके लिए साधनों की व्यवस्था की, इतने करोड़ व्यक्तियों को जमीन दी ।

हमारे सामने अक्सर सवाल आता है कि हम ने एक वर्ष में कितने भूमिहीनों को ठीक कर के जमीन दी है । इस प्रस्ताव को पास कर हम कह सकेंगे कि हम ने इतनी जमीन दी है । आज तक इस काम में ढिलाई होती रही है । अब केन्द्रीय सरकार को यहां से यह प्रस्ताव पास कर इस ढिलाई में अंकुश लगाना चाहिए और प्रान्तीय सरकारों को यह निर्देश देना चाहिए कि इस में आगे से ढिलाई नहीं हो । यह बहुत अच्छा सवाल है, यह कोई विवादास्पद चीज नहीं है । इसलिए इस संकल्प को जो मेरा नहीं बल्कि सदन का संकल्प होगा और इसको पढ़ कर और जान कर सभी लोग कहेंगे कि लोक सभा ने ऐसा एक संकल्प स्वीकार किया है जिस का सम्बन्ध देश के गरीबों से है, भूमिहीनों से है, उनके लिए साधन जुटाने के लिए है, आपको भी स्वीकार कर लेना चाहिये । ऐसा करके आप ऐतिहासिक महत्वपूर्ण

निर्णय ही करेंगे । मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य और मंत्री जी इस पर सोच करके इसको पास करने की कृपा करें । यही मैं उन से आशा और उम्मीद करता हूं ।

MR. CHAIRMAN: There is an amendment already moved by Sari Y. P. Shastri. Though he is not here, I will have to put it to vote. The question is:

That in the resolution,

add at the end—

"and every person recruited in the Land Army be paid a minimum salary of Rs. 250 per month". (1).

The motion was negatived.

श्री भानु प्रताप सिंह : जिस रूप में यह संकल्प आया है उस में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । मैंने एक अन्य आम सहमति से बनाया है । इसका दूसरा रूप है । वह मेरे पास है । अगर इसको सदन स्वीकार कर ले—

सभापति महोदय : कोई भी संशोधन अंतिम क्षणों में जब जवाब भी हो चुका हो, साधारणतया स्वीकार्य नहीं होता है । लेकिन उसके न आ सकने के अगर कोई विशेष कारण रहे हों तो सदन की सहमति से वह आ सकता है ।

श्री भान प्रताप सिंह : मैं इसको उस रूप में प्रस्तुत कर देता हूं और मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार कर लेगा ।

सभापति महोदय : अगर सदन को स्वीकार्य है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : हां, स्वीकार्य है ।

MR. CHAIRMAN: I am allowing this amendment to be moved, in these particular circumstances, by the Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): I beg to move:

"That in the Resolution, *for* the words 'to about 7 crores unemployed persons, reclaiming barren and fallow lands and increasing food production in the country, the Central Government should provide necessary financial assistance to State Governments and Union territories Administrations to form a Land Army which may reclaim about 5 crore acres of barren and fallow land within one year and distribute it among the landless persons after providing irrigation facilities and other inputs."

substitute

'reclaiming barren and fallow lands and increasing food production in the country, the Central Government should consider getting a feasibility study made for the creation of Land Army by the State Governments and Union Territories Administrations which could be deployed for land development, land reclamation, irrigation facilities and similar works and its distribution amongst landless persons together with other farm inputs and equipments'."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That in the Resolution, *for* the words 'to about 7 crore unemployed persons, reclaiming barren and fallow lands and increasing food production in the country, the Central Government should provide necessary financial assistance to State Governments and Union territories Administrations to form a land Army which may reclaim low land within one year and distribute it among the landless perabout croe acres of barren and felsons after providing irrigation facilities and other inputs."

substitute

'reclaiming barren and fallow lands and increasing food produc-

[Mr. Chairman]

tion in the country, the Central Government should consider getting a feasibility study made for the creation of Land Army by the State Governments and Union territories Administrations which could be deployed for land development, land reclamation, irrigation facilities and similar works and its distribution amongst landless persons together with other farm inputs and equipments'."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now I have to put the resolution, as amended to the vote of the House. The question is:

"That this House is of opinion that with a view to providing employment reclaiming barren and fallow lands and increasing food production in the country, the Central Government should consider getting a feasibility study made for the creation of Land Army by the State Governments and Union Territories Administrations which could be deployed for land development, land reclamation, irrigation facilities and similar works and its distribution amongst landless persons together with other farm inputs and equipments."

The motion was adopted.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : सभापति महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को संशोधित रूप में स्वीकार करने के लिये आपका, माननीय मंत्री जी का और इस सदन का धन्यवाद करता हूं ।

MR. CHAIRMAN: I request the hon. Members that such amendments should be moved in very very exceptional cases; this is not a usual practice. Of course, all hon. Members do not get notice of such amendments and they cannot express their views. After all, departing from the regular procedure is not always advisable. This should be done in very very exceptional cases.

15.22 hrs.

RESOLUTION *RE.* REMUNERATIVE PRICES TO THE GROWERS OF COMMERCIAL CROPS

MR. CHAIRMAN: Now Shri Dinesh Joarder is not here. Shrimati P. Rangnekar has to move the resolution.

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : (बम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करती हूं :—

"यह सभा वाणिज्यिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, तम्बाकू, कपास आदि के मूल्यों में गिरावट तथा लगातार गिरावट की प्रवृत्ति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और संकल्प करती है कि उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए तत्काल उपाय किये जाय और वाणिज्यिक फसलों के मूल्यों की निम्न दरों के कारणों की जांच करने और उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये उपाय सुझाने हेतु संसद-सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति भी तुरन्त गठित की जाये ।"

सभापति महोदय, मैं जो यह संकल्प लायी हूं, वह खासकर इसलिये कि आप देखते हैं कि हमारे देश में वाणिज्यिक फसलों की कीमत कम हो रही है, कन्ज्यूमर्स गुड्ज की कीमत बढ़ती है । जो कमर्शियल क्राप्स हैं, वाणिज्यिक उत्पादन है, उसकी कीमत कम हो रही है और इसके कारण को हमें देखना चाहिये क्योंकि यह हमारे समाज का और हमारे डैवलपमेंट का सवाल है ।

हमारे देश में 1 करोड़ 75 लाख हेक्ट जमीन पर क्राप्स है, उसमें से 10 प्रतिशत कमर्शियल क्राप्स हैं । 4 कोटि हमारे किसान कमर्शियल-क्राप्स पर मेहनत करते हैं । हमारे देश में जो 5 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, उसमें तय किया गया था कि हम कमर्शियल क्राप्स की उत्पादकता बढ़ायेंगे, लेकिन अगर आप पिछले 25 साल का हिसाब लगायेंगे तो कमर्शियल प्रोडेक्ट्स का उत्पादन बढ़ा नहीं है, बल्कि कम हो रहा है ।

आप देख सकते हैं कि उत्पादन का लक्ष्य 1950–51 में तय किया गया था कि यह 5.71 मिलियन टन हो, 1960–61 में यह 11.14 मिलियन टन हुआ लेकिन आप देखें कि कन्ज्यूमर्स गुड्ज का, चीनी खाने वालों का परिमाण 20 फीसदी बढ़ा ।